न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2024 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये मनजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा –प्रार्थी	बनाम	1. जीवराज प्रजापत पुत्र रामदेव प्रजापत निवासी सापोला तहसील आसीन्द मालिक श्री लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार चुंगीनाका चौराहा, आसीन्द –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी की ओर से स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 29.11.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 25.09.2024 को मालिक श्री लक्ष्मी मिष्ठान्न भण्डार, आसीन्द का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । मौके पर जीवराज प्रजापत दुकान पर उपस्थित मिले। मौके पर 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस चुल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप मिले। निरीक्षण के दौरान जीवराज प्रजापत द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से मिठाई निर्माण किया जाकर विक्रय किया जा रहा था। इस प्रकार आरोपी जीवराज प्रजापत द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस चुल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.10.2024 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी स्वंय उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि निरीक्षण के दौरान आरोपी जीवराज प्रजापत द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस चुल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि व्यावसायिक गैस सिलेण्डर खत्म होने से जल्दबाजी में घरेलू गैस सिलेण्डर का इस्तेमाल किया गया था। रोजमर्रा के रूप में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रथम गलती मानते हुये प्रकरण में माफी प्रदान करावें। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती) पर हस्ताक्षर किये एवं घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य किये जाने का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का व्यावसायिक रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस चुल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस चुल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस चुल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा